

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 11150/22-1, मुरादाबाद, दिनांक, अप्रैल- 27 मई 2015  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद सम्मल के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-51 बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग पर विश्व बैंक पोषित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कि०मी० 58.500 से कि०मी० 107.00 तक 38.8 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी सम्मल का पत्रांक-1612/14-1, दिनांक 19/4/2015  
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद सम्मल के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-51 बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग पर विश्व बैंक पोषित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कि०मी० 58.500 से कि०मी० 107.00 तक 38.8 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें निम्नानुसार संरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण एवं बाधक वृक्षों का पातन निहित है।

- 1- कि०मी० 58.500 से कि०मी० 107.00 तक दोनों पटरियों पर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु 38.8 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है।
- 2- कि०मी० 58.500 से कि०मी० 107.00 तक दोनों पटरियों पर विभिन्न व्यास वर्ग व विभिन्न प्रजातियों के कुल 7789 बाधक वृक्षों का पातन किया जाना है।
- 3- कि०मी० 58.500 से कि०मी० 107.00 तक दोनों पटरियों पर विगत वर्षों में कराये गये वृक्षारोपणों में रोपित विभिन्न प्रजातियों के 28151 पौधे/वृक्ष जो 0-1 व्यास वर्ग के अन्तर्गत आते हैं जिनका पातन होना है।

जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी सम्मल द्वारा दी गयी आज्ञा से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक- प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-1, उक्तदिनांकित।

1 प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल को उनकी पत्र संख्या-1612/14-1, दिनांक 19/4/2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक, खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद/सम्मल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- ५०७७ / २२-१, मुरादाबाद, दिनांक, मई - २७

२०१५

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद अमरोहा में बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस० एच०-५१) कि०मी० १०७.०० से १३७ के मध्य बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग चौड़ीकरण हेतु २४.४ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ४४३२ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा का पत्रांक-२२६७ / १४-१, दिनांक २३-४-२०१५

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद अमरोहा के अन्तर्गत बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस० एच०-५१) कि०मी० १०७.०० से १३७ के मध्य बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग चौड़ीकरण हेतु २४.४ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ४४३२ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- प्रस्ताव ३ प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- / २२-१, उक्तदिनांकित।

१-प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को उनकी पत्र संख्या- २२६७ / १४-१, दिनांक २३-४-२०१५ के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२ प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक, खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद / अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।